न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः– 46/12 (आरसीएमसी नं. 2012/00049)

1. प्रभात पुत्र धर्मा,
2. अडीसाल,
3. जयदयाल, पुत्रान प्रभात,
4. रामेश्वर,
5. बिडदा पुत्रान सोहन,
6. गुल्ला पुत्र जवाना, समस्त जाति गुर्जर, निवासी गोपालपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरदयाल पुत्र पूरण, जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
2. सरती बेवा सुगला,
3. कैलाश
4. रामकरण,
5. रामवतार,
6. लक्ष्मीनारायण पुत्रान सुगला, जाति गुर्जर, निवासी गोपालपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 20.02.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली के आदेश दिनांक 11.11.2011 (प्रकरण संख्या 32/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाईयों की भूमि हाल खसरा नम्बर 562, 563, 992, 993, 995 लगायत 1000 का कुल रकबा 0.73 हैक्टयर ग्राम बनका में स्थित भूमि के बदले रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 की भूमि साबिक खसरा नम्बर 326 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 513 रकबा 0.76 हैक्टयर ग्राम गोपालपुरा में स्थित भूमि रेस्पोडन्ट संख्या 1 व उसके भाईयों को भूमि विनियम द्वारा दिनांक 03.07.2003 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 से प्राप्त हुई है जिससे उक्त खसरा नम्बर 513 का रकबा 0.76 हैक्टयर भूमि थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाईयों ने विनियम द्वारा 0.76 हैक्टयर भूमि ही प्राप्त की थी जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त सभी तथ्यों की जानकारी प्रारम्भ से ही थी तथा उक्त भूमि से अधिकार भूमि कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई प्राप्त नही कर सकते तथा उक्त भूमि से अधिक भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई वाद व प्रार्थना पत्र कानूनन प्रस्तुत नही कर सकते तथा उक्त भूमि के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अलावा अन्य भाई भी है, जिनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी पक्षकार नही बनाया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कानूनन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही था उक्त सभी तथ्य व दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही देकर उन सब की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बरा 509, 510 व 512 में से हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी संख्या 2 व 3 ने दिनांक 15.06.1998 को क्रय की है तथा अपीलार्थी संख्या 1 व 4 एवं 5 की स्वयं की भूमि है एवं भूमि खसरा नम्बर 548 अपीलार्थी संख्या 6 की है तथा अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्ट की कोई भूमि नही दी गई है तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि का रकबा कम कर अपीलार्थीगण की भूमि का रकबा नही बढाया गया बल्कि अपीलार्थीगण के पास उनके हक, हिस्से, अधिकार व खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि नही है जिस पर अपीलार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त सभी तथ्य व दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही देकर उन सबकी अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र से पूर्व भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.2010 को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 25.11. 2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा उसी दिन एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को विड्रो कर लिया तत्पश्चात् प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 कैम्प गोपालपुरा मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत पेश किया जिसमें तहसीलदार कोटपुतली ने रिपोर्ट की उक्त प्रकरण को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में पोषणीय नही होने की रिपोई पेश की तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पुनः धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण के विरूद्ध पेश किया, उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों में विरोधाभासी अभिवचन किये गये तथा उक्त प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकित नही किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कौनसी भूमि व भूमि का कितना रकबा कम कर किस खातेदार की खातेदारी मे कौनसे खसरा नम्बर में कब बढ़ा दिया गया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कानूनन पोषणीय नही था, उक्त सभी तथ्य व दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही देकर उन सबकी अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है।

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण को यह हिदायत दे रखी थी कि उक्त प्रकरण में जब भी आपकी आवश्यकता होगी तो आपको सूचित कर बुलवा लिया जावेगा, जिससे अपीलार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ही पैरवी कर रहे थे तथा उन्होने अपीलार्थीगण को उक्त निणर्य बाबत सूचित नही किया जिस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 28.02.2012 को अपने अधिवक्ता से उक्त प्रकरण बाबत जानकारी की तो उनके अधिवक्ता ने उक्त निर्णय बाबत बताया जिस पर अपीलार्थीगण ने उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिस पर अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नही थी जिससे बिना किसी देरी से अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा अवैध व बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय में कोई मियाद नही होती है, लेकिन फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही तथा अपीलार्थीगण किसी प्रकार की कोई कानून पेचिदियों में नही पड़ना चाहता है जिससे उक्त अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2011 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि सैटलमेन्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के नये नम्बर 513/0.76 बने है तथा आराजी साबिक नम्बर 327 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नमबर 514/0.64 ऐयर वाके मौजा गोपालपुरा बने है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 साबिक खसरा नम्बर के रकबे के अनुसार आज भी मौके पर उतनी ही भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा मुताबिक साबिक खसरा नम्बर का हाल खसरा नम्बर के अनुसार रकबा क्रमशः 0.79 एवं 0.73 हैक्टयर ही होता है। उन्होने आगे कथन किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना अधिकार रेस्पोडेन्ट की खातेदारी को बिना कोई सूचना दिये कानून के विपरित आराजी का रकबा घटाकर 0.76 एवं 0.64 ही रिकार्ड में दर्शाया है जबकि अपीलान्ट का रकबा आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 349 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा बन्दोबस्त साबिक जिसके हाल खसरा नम्बर 509, 510, 548 का रकबा करीब 17 ऐयर बढा दिया गया जिसका कि भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग को कानून पुराने इन्द्राजत को बदलने का अधिकार नही है तथा भू प्रबन्ध का यह कार्य भूमि का रकबा कम करने का उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से शून्य है तथा काबिल दुरूस्त होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करनें में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से बिना जॉच रिपोर्ट तलब किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित नही किया गया है कि कौनसे खसरा नम्बर से कितना रकबा कम करके किस खसरा नम्बर में कितना–कितना रकबा बढाना है तथा इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 10.01.2012 पारित किया गया है जो अपीलान्ट को बिना सुने ही पारित किया गया है इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2011 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं तहसीलदार कोटपुतली से प्रकरण में विस्तृत जॉच रिपोर्ट तलब की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।